

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी R-3873-213

प्रदीप कुमार पिता श्री किशनचन्द्र चंदवानी, निवासी-दशरथ नगर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) --आवेदक

विरुद्ध

1. श्रवणसिंह पिता रामसिंह राजपूत, द्वारा मुख्यालय आम हरीशकुमार पिता किशनचन्द्र चंदवानी, निवासी-दशरथ नगर, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

2. प्रबन्धक, जिला सहकारी कृषि भूमि विकास बैंक, शाखा नाहरगढ़ जिला मन्दसौर (म.प्र.) --अनावेदकगण

कैलाश जी
13/9/2013
अवेदक
अयुक्त कर्मचारी
उज्जैन संभाग

364
13/9/2013

Dr. G. K. Singh
Dr. G. K. Singh
Dr. G. K. Singh
Dr. G. K. Singh
7-10-13

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 284/अपील/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 11-07-2013 से असन्तुष्ट एवं दुःखित होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत अंदर अवधि प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रार्थी आवेदक ने अनावेदक क्रं.-01 श्रवणसिंह पिता रामसिंह राजपूत, निवासी-विशान्या तहसील कयामपुर जिला मन्दसौर में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 466 रकबा 0.03, सर्वे नंबर 472 रकबा 0.16, सर्वे नंबर 484 रकबा 0.24, सर्वे नंबर 485 रकबा 0.04, सर्वे नंबर 487

18

निरंतर....2

a^x

R. 3873/I/13 मद्रास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
20-8-14	<p>आवेदक को जिला जेल से रिहा करने के लिए आदेश जारी किया गया।</p> <p>दिनांक 20-8-14</p>	
21-8-14 उपरोक्त दिनांक	<p>आवेदक को जिला जेल से रिहा करने के लिए आदेश जारी किया गया।</p> <p>उन्हें गृहस्थता पर मुना। जकरवा गृहस्थता पर आदेशार्थ।</p>	<p>21-8-14</p> <p>उपरोक्त दिनांक</p>